झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
पंचम (बजट) सत्र
वर्ग-5

30 माघ, 1937(श0)
.... को

निम्नलिखित अल्प-सूचित प्रश्न, शुक्रवार दिनांक 19 फरवरी 2016(ई0) झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्र0 सं0	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
1.	2	3.	4.	5.	6.
32-	अ0सू0-01	श्री बिरंची नारायण	जमीनों का नक्शा मंगाना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग	12.02.16
33-	अ0सू0-05	प्रो0 स्टीफन मराण्डी	बकायदारों एवं दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई।	उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	15.02.16
34-	अ0सू0-06	श्री राधाकृष्ण किशोर	स्वास्थ्य भवनों को संसाधनों से युक्त करना।	स्वा0चि0शि0 एवं परि0 क0 विभाग	15.02.16
35-	अ0सू0-04	श्री सुखदेव भगत	उपकरणों का उपयोग	स्वा0चि0शि0 एवं परि0 क0 विभाग	12.02.16

राँची
दिनांक- 19 फरवरी, 2016(ई0)

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्रश्न-07/2015......911......./वि0स0, राँची, दिनांक- 16/2/16

प्रति :- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मुख्यमंत्री/ मंत्रीगण/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

गिरवरधारी 16/2/16
(गिरवरधारी प्रसाद)
उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0– प्रश्न–07/2015......911......./वि0स0, राँची, दिनांक– 16/2/16

प्रति :– अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

गिरवाधारी 16/2/16

उप सचिव
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप सं0– प्रश्न–07/2015......911......./वि0स0, राँची, दिनांक– 16/2/16

प्रति :– कार्यवाही शाखा, बेवसाईट शाखा, ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

गिरवाधारी 16/2/16

उप सचिव
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

निरंजन

16/2/16

श्री बिरंची नारायण, स०वि०स० द्वारा दिनांक–19.02.2016 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– 01 का प्रश्नोत्तर

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–	
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड की जमीनों का 85 हजार नक्शा बिहार सरकार के गुलजारबाग स्थित राजकीय मुद्राणालय में है, जिसे बिहार सरकार झारखण्ड को तब तक नहीं देने की बात कह रही है जबतक कि बिहार–झारखण्ड के बीच सम्पतियों और देनदारी का विवाद सुलझ नहीं जाता ?	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड के पास उक्त नक्शा न होने से सीमांकन सहित अन्य भूमि विवाद लगातार बढ़ रहे है ?	स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त नक्शा न होने से झारखण्ड–बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और साहिबगंज एवं दियारा के मध्य 2000 एकड़ भूमि विवादित हो चुकी है ?	स्वीकारात्मक है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त विवादों को सुलझा कर बिहार सरकार से झारखण्ड की जमीनों का नक्शा प्राप्त कर झारखण्ड के भूमि सीमांकन विवादों को निपटाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड एवं बिहार राज्य के सीमा का सीमांकन सर्वे का कार्य दिनांक–02.06.2010 को अंचल–मनिहारी (बिहार) एवं अंचल–साहेबगंज (झारखण्ड) के सर्वेक्षण दल द्वारा संयुक्त रूप से स्थल का सर्वेक्षण कर संतुष्ट होकर दिनांक–03.06. 2010 को पीलर गड़वाया जा चुका है, जिसके अन्तर्गत मौजा–टोपरा, मुरैला एवं हादीनगर सर्वेक्षित मौजा है, जिसका रिकार्ड ऑफ राईट्स जिला पदाधिकारी, कटिहार से अप्राप्त है। सर्वे कार्य हेतु स्थायी कैम्प साहेबगंज में कार्यरत है। झारखण्ड–बंगाल के सीमा का सीमांकन संयुक्त दल द्वारा दिनांक–06.06.2011 से 09.06.2011 तक में साहेबगंज जिला का अंचल–राजमहल एवं उधवा का सीमांकन किया जा चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल के अधिकारी द्वारा सहमति के रूप में सूची पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है, जो सीमा निर्धारण को सम्पुष्ट नहीं करता है। वर्ष 2011 से ही पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में यह मुद्दा उठाया जाता रहा है। दिनांक–16.01.15 को बिहार में हुई क्षेत्रीय परिषद की बैठक मे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी इस विषय को उठाया गया था। दिनांक–29.01.16 को राँची में सम्पन्न पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राज्य सरकार द्वारा इस मुद्दा को पुनः उठाया गया है। सीमांकन सर्वे कराने हेतु राज्य सरकार सतत प्रयत्नशील है।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः–2/भू0अ0परि0निदे0–14/16 94/रा० दिनांक– 18-02-16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–678 वि0स0, दिनांक–12.02.2016 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय प्रशाखा–10 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

18/02/2016

33

प्रो0 स्टीफन मराण्डी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक–19.02.2016 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–5 का उत्तर ।

<table>
<tr><th>प्रश्न</th><th>उत्तर</th></tr>
<tr><td>1– क्या यह बात सही है कि उत्पाद मद में वसूलनीय कर में विभाग द्वारा शिथिलता बरतने के कारण 413.16 करोड़ रू0 का बकाया चल रहा है ?</td><td>उत्तर अस्वीकारात्मक है।
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्रेषित 31 मार्च, 2014 तक के वार्षिक प्रतिवेदन में 31.03.2014 तक कुल 29.37 करोड़ रू0 का राजस्व बकाया प्रतिवेदित किया गया था, जबकि 31.03.2015 को कुल राजस्व बकाया 30.32 करोड़ रू0 था ।
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2013–14 तक के प्रतिवेदन में मूलतः दुकानों की बन्दोबस्ती न होना, विलम्ब से बन्दोबस्ती, अनुज्ञाधारियों द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के विरूद्ध मदिरा का उठाव नहीं किया जाना, बिना अनुज्ञप्ति शुल्क अथवा कम अनुज्ञाशुल्क पर मदिरा का उठाव किये जाने के कारण 413.16 करोड़ रू0 का हानि प्रतिवेदित किया गया है जो काल्पनिक है । वस्तुतः इस राशि को बकाया के रूप में आकलित नहीं किया जाना चाहिए ।
उल्लेखनीय है कि खुदरा उत्पाद दुकानों की बन्दोबस्ती हेतु सभी जिला उत्पाद पदाधिकारियों द्वारा नियमानुसार सभी सार्थक प्रयास किये जाते रहे हैं तथा अवैध मदिरा निर्माण सम्बन्धी ठिकानों पर सीमित संसाधनों के बावजूद निरंतर छापामारी की कार्रवाई की जाती रही है ।</td></tr>
<tr><td>2– क्या यह बात सही है, कि प्रधान महालेखाकार कार्यालय द्वारा इसकी लिखित खुलासा मुख्य सचिव से करने के बावजूद भी कर वसूली की दिशा में संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई ठोस उपाय नहीं किया गया है ;</td><td>उत्तर अस्वीकारात्मक है ।
राज्य सृजन के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2001–02 से लगातार वर्षवार राजस्व संग्रहण में अपेक्षित वृद्धि हुई है । विशेषकर वित्तीय वर्ष 2009–10 से राजस्व संग्रहण में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हुई है जो निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट होता हैः–

<table>
<tr><th>क्रमांक</th><th>वर्ष</th><th>वार्षिक लक्ष्य (करोड़ रू0 में)</th><th>राजस्व प्राप्ति (करोड़ रू0 में)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2001-2002</td><td>200.00</td><td>101.98</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2002-2003</td><td>224.10</td><td>101.88</td></tr>
<tr><td>3</td><td>2003-2004</td><td>252.47</td><td>94.50</td></tr>
<tr><td>4</td><td>2004-2005</td><td>125.00</td><td>152.00</td></tr>
<tr><td>5</td><td>2005-2006</td><td>155.00</td><td>159.00</td></tr>
<tr><td>6</td><td>2006-2007</td><td>200.00</td><td>127.43</td></tr>
<tr><td>7</td><td>2007-2008</td><td>225.00</td><td>149.91</td></tr>
<tr><td>8</td><td>2008-2009</td><td>300.00</td><td>204.54</td></tr>
<tr><td>9</td><td>2009-2010</td><td>330.00</td><td>329.87</td></tr>
<tr><td>10</td><td>2010-2011</td><td>525.00</td><td>407.62</td></tr>
<tr><td>11</td><td>2011-2012</td><td>700.00</td><td>492.13</td></tr>
<tr><td>12</td><td>2012-2013</td><td>700.00</td><td>593.00</td></tr>
<tr><td>13</td><td>2013-2014</td><td>700.00</td><td>643.70</td></tr>
<tr><td>14</td><td>2014-2015</td><td>850.00</td><td>764.55</td></tr>
<tr><td>15</td><td>2015-2016 (जनवरी, 2016 तक)</td><td>1200.00</td><td>666.91</td></tr>
</table>

इससे यह परिलक्षित होता है कि उत्पाद पदाधिकारी निर्धारित लक्ष्य की शत्–प्रतिशत् प्राप्ति हेतु कृत संकल्पित एवं प्रयत्नशील हैं ।
भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के आलोक में सभी जिला उत्पाद पदाधिकारियों को उत्पाद राजस्व संग्रहण हेतु सतत् प्रयत्नशील रहने के लिए समय–समय पर निदेशित किया जाता रहा है ।</td></tr>
</table>

	साथ ही, प्रत्येक माह मुख्यालय स्तर पर जिला उत्पाद पदाधिकारियों के साथ राजस्व संग्रहण की समीक्षात्मक बैठक की जाती है एवं राजस्व संग्रहण में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु यथोचित निदेश दिये जाते है ।
3– क्या यह बात सही है, कि कर वसूली हेतु किये गये सर्टिफिकेट केस के त्वरित निष्पादन हेतु कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है, जिसके कारण सरकारी खजाने पर इसका प्रतिकूल असर और विकास कार्य वंचित हो रहा है ;	उत्तर अस्वीकारात्मक है । नीलाम पत्र वाद में सन्निहित राशि की वसूली हेतु विभाग द्वारा लगातार प्रयास किया जाता रहा है एवं समय–समय पर सभी उपायुक्तों एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों को एतद् संबंधी निदेश दिये जाते रहे हैं । जिला स्तर से भी इस सम्बन्ध में समुचित कार्रवाई की जाती रही है, जिसकी समीक्षा मुख्यालय स्तर पर आयोजित मासिक राजस्व संग्रहण सम्बन्धी समीक्षात्मक बैठक में की जाती है ।
4– यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त बकाया कर राशि की वसूली करने एवं इसके लिए दोषी बकायदारों और संबंधित जबावदेह पदाधिकारियों पर समुचित कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं हो क्यों ?	उत्तर अस्वीकारात्मक है । राजस्व बकाये की वसूली हेतु विभाग/सरकार कृत संकल्पित है एवं इसके लिए सतत् प्रयत्नशील है ।

झारखण्ड सरकार
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

ज्ञापांक–1/विधायी–20–09/2011 400 राँची, दिनांक–18/02/16

प्रतिलिपि–(1) अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(2) प्रशाखा पदाधिकारी–3, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

18.2.16
संयुक्त सचिव,
उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग,
झारखण्ड, राँची ।

34

श्री राधाकृष्ण किशोर, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.02.16 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्र0सं0 अ0सू0– 06 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में वर्ष 2007–08 से 31 जनवरी 2016 तक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के 140, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के 188 तथा स्वास्थ्य उपकेन्द्र के 777 अर्थात कुल 1105 भवनों के निर्माण की स्वीकृति सरकार द्वारा दी गई है, जिसके विरुद्ध 31 जनवरी 2016 तक मात्र 675 स्वास्थ्य भवनों का निर्माण कार्य पूरा कराया गया है;		आंशिक स्वीकारात्मक । राज्य योजना एवं एन0एच0एम0 अन्तर्गत स्वीकृत कुल 162 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 199 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 1357 स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवनों में 81 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 93 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 911 स्वास्थ्य उपकेन्द्र पूर्ण और हस्तगत है, तथा शेष निर्माणाधीन है ।
2. क्या यह बात सही है, कि खण्ड–1 में वर्णित स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सा पदाधिकारी, ए0एन0एम0 लैब टेक्नशियन के अभाव में कार्यरत नहीं हैं;		आंशिक स्वीकारात्मक । उपर्युक्त पूर्ण संरचनाओं में 45 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 42 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 417 स्वास्थ्य उपकेन्द्र का संचालन किया जा रहा है, जिनमें चिकित्सा पदाधिकारी एवं ए0एन0एम0 कार्यरत है । शेष आधारभूत संरचनाओं को पूर्ण कर संचालित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बताएगी कि मानव संसाधन यथा चिकित्सक, ए0एन0एम0, लैब टेक्नीशियन के अभाव में खण्ड–1 में वर्णित भवनों के निर्माण का क्या औचित्य है तथा सरकार निर्मित स्वास्थ्य भवनों को संसाधनों से युक्त कर कब तक कार्यरत करना चाहती है ?		वस्तुस्थिति यह है कि विभाग में रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई की जा रही है । झारखण्ड लोक सेवा आयोग से 162 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की अनुशंसा प्राप्त है । 155 दन्त चिकित्सकों की नियुक्ति का विज्ञापन प्रकाशित किया जा चुका है । विभिन्न अस्पतालों में पद सृजन की कार्रवाई की जा रही है । शीघ्र ही स्वास्थ्य भवनों को संसाधन से युक्त कर कार्यरत कर दिया जाएगा ।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0–वि0स0 (अ0सू0)– 26/16– 162(6) स्वा0, राँची, दिनांकः 18.2.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–889/वि0स0, दिनांक 15.02.16 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/2/2016

सरकार के उप सचिव ।

35

श्री सुखदेव भगत, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 19.02.16 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्र0सं0 अ0सू0– 04 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में मेडिकल उपकरणों को वास्तविक स्थिति जानने के लिए विभाग ने निजी एजेन्सी को 48 लाख रु0 शुल्क देकर सर्वे कराया है;		स्वीकारात्मक । यह कार्य एच0एल0एल0 लाईफ केयर लि0 जो भारत सरकार का उपक्रम है, के द्वारा सम्पादित किया गया है। इसके लिए आवश्यक राशि भारत सरकार द्वारा एन0एच0एम0 को उपलब्ध करायी गयी है ।
2. क्या यह बात सही है कि सर्वे कराने वाली निजी क्षेत्र की कंपनी हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड ने अपने सर्वे अध्ययन में बताया कि राज्य भर में 517 प्रकार के 16400 उपकरण है, जिसमें 3734 उपकरण काम नहीं कर रहे है और 1156 उपकरणों को खोला ही नहीं गया है और 4890 उपकरण बेकार पड़े हैं;		स्वीकारात्मक है ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खरीदे गये सभी उपकरणों को काम में लाने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक नहीं तो क्यों ?		खरीदे गए सभी उपकरणों को उपयोग में लाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसके लिए CAMC(Comprehensive Annual Maintenance Contract) की निविदा की जा रही है । CAMC के लिए आवश्यक राशि भारत सरकार द्वारा ही एन0एच0एम0 के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी ।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0–वि0स0 (अ0सू0)– 07/16– 167(6) स्वा0, राँची, दिनांकः 18.2.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–713/वि0स0, दिनांक 12.02.16 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/2/2016

सरकार के उप सचिव ।